सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़
बनाम
सुन्दर दास लखमानी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह वाद विज्ञ उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय से हस्तांतरित होकर सुनवाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त है। मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा–खपड़ाजोला के जमाबंदी सं0–26/31 अन्तर्गत रकवा 24–10–06 धुर जमीन का विपक्षी सुन्दर दास लखमानी, थाना–पाकुड़, जिला–पाकुड़ के नाम अंचल सिरिस्ता पाकुड़ के पंजी–।। में कायम जमाबंदी को रद्द करने एवं लगान रसीद निर्गत करने पर रोक संबंधी एक मामला विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में राजस्व विविध वाद सं0–82/1998–99 चला। उक्त वाद में दिनांक–24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया। मूल विपक्षी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर संजय कुमार, पिता–स्व0 सुदर्शन कुमार एवं सतीश लखमानी, पिता–स्व0 सुन्दर दास लखमानी, सा0–सिंधीपाड़ा, थाना–पाकुड़ नगर, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाया गया।

विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष नही रखा गया। जिससे प्रतीत होता है कि उन्हें इस वाद में या जो कोई अभिरूची नही है अथवा मामले को लंबित रखना चाहते है। मामला वर्ष 2002 से लंबित चला आ रहा है, अतः इसमें और अधिक समय प्रदान करना उचित नही है। अतः वाद को आदेश पर रखा गया।

अभिलेख में उपलब्ध विपक्षी द्वारा दाखिल कारण पृच्छा दिनांक–14.05.1998 के अनुसार मौजा–खपड़ाजोला अन्तर्गत दाग सं0–219, 235, 229, 255, 256, 257, 262, 23, 264, 267, 269, 288, 289, 526, 529, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 एवं 218 अन्तर्गत कुल रकवा 17.91 एकड़ भूमि पर विपक्षी को समाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा माईनिंग लीज प्राप्त है, जो कि समय–समय पर नवीकरण किया जाता है। 16 सितम्बर 1990 को लीज की अवधि 10 वर्ष के लिए विस्तारित की गई है। उक्त भूमि पर विपक्षी द्वारा लगान एवं रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। CWJC No. 2223 में पारित दिनांक–

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	16.04.1992 के आदेशानुसार एक बार यदि जमाबंदी सृजित है तो जमाबंदी रद्द/स्थगित की कार्रवाई अवैध है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा दिनांक–16.07.1991 को समाहर्त्ता, साहेबगंज एवं श्री धनश्याम दास, पिता–स्व0 सुन्दर दास लखमानी के बीच Indenture Deed एवं एक लगान रसीद के अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि के संबंध में अन्य दस्तावेज समर्पित नहीं किये है, जिससे कि विपक्षी के नाम पर उक्त जमीन किस प्रकार पंजी–।। में जमाबंदी सृजित की गई है, यह स्पष्ट हो। चुँकि प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है। Online पंजी–।। की प्रति में खाता सं0–31 दाग सं0–00, रकवा 24–10–06 धुर भूमि Sured dan (अस्पष्ट) के नाम पर दर्ज पाया गया। पंजी–।। में अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक–88, दिनांक–17.02.1994 से खजाना बंद है। विपक्षी उक्त भूमि पर पत्थर खनन लीज धारित करते थे, जो खतियान में 'खास' कहकर दर्ज है। उक्त खनन लीज काफी समय पूर्व विपक्षी के पक्ष में दिया गया था तथा जिसे समय–समय पर नवीनीकृत किया गया। विपक्षी उक्त भूमि का लगान दे रहें थे। विपक्षी उक्त भूमि को तबतक रखेंगे जबतक पत्थर है तथा पत्थर समाप्त होने पर सरकार के पक्ष में छोड़ देंगे। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत दागो की भूमि के साथ–साथ अन्य दागो की भूमि से संबंधित एक लीज एकरारनामा अभिलेख में उपलब्ध है, जिसके अनुसार उक्त दागों का लीज पत्थर उत्खनन हेतु दिनांक–16.07.1991 को सम्पन्न है। विपक्षी का स्वयं ये कहना है कि उक्त भूमि खास है। अर्थात रैयती नहीं है। विपक्षी का यह दावा है कि उक्त भूमि का लगान निर्धारण हुआ है। परन्तु लगान निर्धारण संबंधी कोई आदेश विपक्षी द्वारा दाखिल नही किया गया है। सामान्यतः गैर मजरूआ खास भूमि की विधिवत् बंदोवस्ती के बाद ही लगान का निर्धारण किया जाता है। किसी भूमि की लीज के आधार पर लगान निर्धारण करने का कोई प्रावधान नही है। यद्यपित व्यवसायिक लगान निर्धारित किया जा सकता है परन्तु यह लीज अवधि तक ही मान्य रहता। अतः विपक्षी का उक्त दावा स्वीकार करने योग्य नही है। विपक्षी द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेज दाखिल नही किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे प्रश्नगत भूमि उन्हें बंदोवस्ती में विधिवत प्राप्त हुई है। लीज के आधार पर खास भूमि पर दावा किया जाना उचित नहीं है। विपक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी किस आदेश के तहत कायम की गई। निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। इस मामले में निम्न न्यायालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव से यह न्यायालय सहमत है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी सुन्दर दास लखमानी के नाम से पंजी–।। में गलत एवं अवैध तरीके से	

क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

जमाबंदी सृजित की गई है। अतः सुन्दर दास लखमानी के नाम से पंजी–।। में कायम जमाबंदी को रद्द (Cancel) किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में विधिवत कोई लीज प्रदत्त नही है तो उसे सरकारी कब्जे में लेना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति पंजी–।। में आवश्यक संशोधन एवं अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, पाकुड़ को भेजे।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

29.3.2023

अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

29.3.2023

अपर समाहर्त्ता,
पाकुंड़।

Digitally signed by MANJU RANI SWANSI
Date: 2023.06.12 12:22:44 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:3c3a:3b5:3557:ab64